Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 25, 2012
(BHADRA 3, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2012

No. 31—HLA of 2012/59.—The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 31—HLA of 2012

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2012. Short title and Commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

Price : Rs. 5.00

Amendment of section 2 of Haryana Act 16 of 1994.

2. In the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), clause (1) of section 2 shall be omitted.

Amendment of section 87 of Haryana Act 16 of 1994.

3. In the principal Act, for clause (a) of sub-section (1) of section 87, the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) a property tax payable by the owner or occupier of building and land at the rates notified by the Government, from time to time depending upon the area in which the building or land is situated, its location, purpose for which it is used, its capacity for profitable use, quality of construction and other relevant factors;".

Insertion of sections 87A, 87B, and 87C of Haryana Act 16 of 1994.

4. In the principal Act, after section 87, the following sections shall be inserted, namely:—

"87A.—Self assessment of tax.—Notwithstanding anything contained in this Act, every person liable to pay the property tax shall himself calculate the tax of the building or land according to the procedure notified in this regard, of which he is either owner or the occupier at the rates notified under clause (a) of sub-section (1) of section 87.

87B.—Deposit of property tax.—(1) On the basis of assessment made as per section 87A, the owner or occupier shall deposit the amount of property tax in the specified head of the Corporation as per the prescribed procedure on or before the date fixed by the authority and furnish a return in the prescribed form. The variation upto ten per cent on either side in the assessment made under section 87A shall be ignored. In cases where the variation is more than ten per cent, the owner or occupier of land or building, as the case may be, shall be liable to pay penalty equal to the amount of tax evaded subject to a minimum of rupees one hundred.

(2) Where any property tax has not been paid by the owner or occupier within the prescribed time, the authority shall serve notice on the person chargeable with the property tax, which has not been paid, requiring him to show cause why he should not pay the amount specified in the notice and the authority shall pass an appropriate order in this regard after giving an opportunity of hearing.

Explanation.—For the purposes of this section, the authority means the Zonal Taxation Officer or any officer authorized by the Commissioner of Municipal Corporation.

87C.—Penalties.—In case of non-payment of property tax, the competent authority may impose a penalty equal to the amount of the tax assessed, subject to minimum of rupees one hundred and in case of

late payment, interest at the rate of one and a half per centum per month from the date of default shall also be charged.".

5. In sub-section (1) of section 89 of the principal Act ,— Amendment of section 89 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) a fire tax;" and

(ii) clause (c) shall be omitted.

6. In the principal Act, sub-section (2) of section 90 shall be omitted. Amendment of section 90 of Haryana Act 16 of 1994.

7. For section 94 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 94 of Haryana Act 16 of 1994.

"**94. Apportionment of liability of taxes on land and building when premises assessed are let or sub-let.**— If any building or land assessed to tax specified in clause (a) of sub-section (1) of section 87 is let or sub-let and amount of rent payable in respect thereof is less than the property tax, then the occupier shall be liable to pay the difference between the amount of the said property tax and the rent paid by him.".

8. In the principal Act, for section 97, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 97 of Haryana Act 16 of 1994.

"**97. Property list.**—Save as otherwise provided in this Act, each Corporation shall cause a property list of all lands and buildings in the municipal area to be prepared in such form and manner and containing such particulars with respect to each land and building, as may be prescribed.".

9. In the principal Act, section 98 shall be omitted. Omission of section 98 of Haryana Act 16 of 1994.

10. In the principal Act, in sub-section (1) of section 99,— Amendment of section 99 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) for the words "assessment list" occurring twice, the words "property list" shall be substituted; and

(ii) clause (d) shall be omitted.

11. In the principal Act, for section 100, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 100 of Haryana Act 16 of 1994.

"**100. New property list.**— It shall be at the discretion of the Corporation to prepare for the whole or any part of the municipality a new property list every year.".

Amendment of section 104 of Haryana Act 16 of 1994.

12. In the principal Act, in sub-section (1) section 104, for the words "annual value", the words "property tax" shall be substituted.

Amendment of section 127 of Haryana Act 16 of 1994.

13. In the principal Act, in the proviso to section 127, for the words "one per centum", the words "one and a half per centum" shall be substituted.

Amendment of section 128 of Haryana Act 16 of 1994.

14. In the principal Act, in section 128,—

(I) in sub-section (1),—

(i) in clause (b), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be added, namely:—

"(c) property tax.";

(II) in sub-section (3),—

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no rebate shall be allowed in case of property tax.".

Omission of sections 133, 134, 135,136 and 137 of Haryana Act 16 of 1994.

15. In the principal Act, sections 133, 134, 135, 136 and 137 shall be omitted.

Substitution of section 139 of Haryana Act 16 of 1994.

16. In the principal Act, for section 139, the following section shall be substituted, namely:—

"**139. Conditions of right to appeal.**—No appeal shall be entertained under section 138 unless the amount, if any, in dispute in the appeal has been deposited by the appellant in the office of the Corporation.".

Amendment of section 142 of Haryana Act 16 of 1994.

17. In the principal Act, in section 142, for the word "annual value", existing in the marginal heading and sub-section (1), the words "property tax" shall be substituted.

Amendment of section 145 of Haryana Act 16 of 1994.

18. In the principal Act, in clause (c) of sub-section (1) of section 145, the word "annual" shall be omitted.

19. In the principal Act, for section 146, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 146 of Haryana Act 16 of 1994.

"**146. Amendment of property list.**—(1) The authority may at any time amend the property list by inserting the name of any person whose name ought to have been or ought to be inserted, or by inserting any property which ought to have been or ought to be inserted, or by altering the details of any property which has been erroneously valued or assessed through fraud, accident or mistake, whether on the part of the authority or of the assessee, or in the case of a tax payable by the owner or the occupier by a change in the tenancy, after giving notice to any person affected by the amendment of a time, not less than one month from the date of service, at which the amendment is to be made.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, the authority means the Zonal Taxation Officer or any officer authorized by the Commissioner of Municipal Corporation.

(2) Any person interested in any such amendment may tender his objection to the Corporation in writing before the time fixed in the notice or orally or in writing at that time and shall be allowed an opportunity of being heard in support of the same in person, or by authorized agent, as he may think fit.".

20. For sub-section (5) of section 309 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 309 of Haryana Act 16 of 1994.

"(5) Any swine found straying in a public street or public place shall be removed by any officer or other employee of the corporation authorized by the Commissioner in this behalf. The swine so removed shall be disposed off by public auction or in such other manner and within such time, as the Commissioner may deem fit and the owner of such swine shall be punishable with imprisonment upto six months and it shall be a non-cognizable offence.".

21. Notwithstanding anything contrary contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary and notwithstanding that procedure laid down under section 87 of the principal Act has not been followed, the directions issued *vide* Haryana Government, Urban Development Department, Notification No. S.O. 14/47/2003-3XCII, dated the 30th September, 2003 as amended from time to time and Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.46/ H.A.16/1994/S.87 /2012, dated the 21st June, 2012 with regard to imposition of property tax, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of Validation.

section 149 of the principal Act, shall be deemed to have been validly issued after following procedure in accordance with the provisions of the pricnipal Act and accordingly,—

(i) all acts, proceedings or things done or actions taken or which may have been done or taken by the Corporation and by the Government under the above mentioned notifications with regard to imposition and collection of property tax, be deemed to be, and to have always been done and taken in accordance with law and shall not be called in question before any court of law on this ground;

(ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority in relation to imposition of property tax, so imposed under the above mentioned notifications; and

(iii) no court or authority shall enforce a decree or order directing the cancellation of imposition of property tax due to not following the procedure as laid down under section 87 of the Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Haryana Government had committed itself to make the Urban Local Bodies self-sustaining by strengthening their resource base. The propery tax system in the State which was in force since a long time was cumbersome and had become outdated. The system of calculation had many loopholes thereby leaving chances of pilferage and mismanagement. The collector rates have increased manifold in the last few years. It was necessary to provide relief to the tax-payers as the annual value of property was based on collector rate.

Keeping this in view this, the Government has formulated a new system of property tax calculation and collection and has notified the same which provides a huge relief to the common man, small traders and other segments of society.

Therefore, it has become imperative to make certain amendments in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 so that the Act and the property tax system are in tune with each other.

2. Amendment is also required in order to address the problem of stray swines within the municipal limits. Their unregulated movement leads to unhygienic conditions apart from being a traffic hazard. Therefore, it is necessary to make stringent legal provisions to contain this menace.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 25th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2012 का विधेयक संख्या 31—एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2012

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष मे हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2010 से लागू हुआ समझा जायेगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 के खण्ड (1) का लोप कर दिया जायेगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 87 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम में, धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसे क्षेत्र जिसमें निर्माण या भूमि स्थित है, इसकी अवस्थिति, प्रयोजन जिसके लिए यह उपयोग की जाती है, लाभदायी उपयोग, संरचना की गुणवत्ता और अन्य सुसंगत कारणों के लिए उसकी हैसियत पर निर्भर रहते हुए सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित दरों पर निर्माण या भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा भुगतानयोग्य सम्पत्ति कर;"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 87क, 87ख तथा 87ग का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम में, धारा 87 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"87क. **स्वयं कर निर्धारण**.— इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति इस सम्बन्ध में अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण या भूमि जिसका वह या तो स्वामी है या अधिभोगी है, धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित दरों पर स्वयं कर की संगणना करेगा।

87ख. सम्पत्ति कर निक्षेप.– (1) धारा 87क के अनुसार किए गए निर्धारण के आधार पर, स्वामी या अधिभोगी प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि को या से पूर्व विहित प्रकिया के अनुसार निगम के विनिर्दिष्ट शीर्ष में सम्पत्ति कर की राशि का निक्षेप करेगा और विहित प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा। धारा 87क के अधीन किए गए निर्धारण में दोनों पक्षों पर दस प्रतिशत तक की भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। उन मामलों में, जहां भिन्नता दस प्रतिशत से अधिक है, भूमि या निर्माण, जैसी भी स्थिति हो, का स्वामी या अधिभोगी न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन कर अपवंचित राशि के बराबर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां स्वामी या अधिभोगी द्वारा कोई सम्पत्ति कर विहित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, तो प्राधिकारी सम्पत्ति कर से प्रभार्य जो भुगतान नहीं किया गया है, व्यक्ति को कारण बताने के लिए उससे अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि क्यों न उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करना चाहिए और प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के बाद इस सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित करेगा।

व्याख्या.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी से अभिप्राय है, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी या नगर निगम आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।

87ग. शास्ति.– सम्पत्ति कर न दिए जाने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन निर्धारित कर की राशि के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकता है और देरी से किए गए भुगतान की दशा में चूक की तिथि से प्रतिमास डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1) में,– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 89 का संशोधन।

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(ख) अग्निशमन कर ;''तथा

(ii) खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा।

6. मूल अधिनियम में, धारा 90 की उपधारा (2) का लोप कर दिया जाएगा। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 90 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 94 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 94 का प्रतिस्थापन।

''94. भूमि या निर्माण पर करों के दायित्व का प्रभाजन जब निर्धारित परिसर किराये पर या आगे किराये पर दिए जाते हैं.– यदि

धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कर के लिए निर्धारित कोई निर्माण या भूमि किराये या आगे किराये पर दी जाती है और उसके सम्बन्ध में भुगतानयोग्य किराये की राशि सम्पत्ति कर से कम है, तब अधिभोगी उक्त सम्पत्ति कर तथा उस द्वारा भुगतान किए गए किराये की राशि के बीच के अन्तर के भुगतान के लिए दायी होगा।''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 97 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम में, धारा 97 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

''97. **सम्पत्ति सूची.**– इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक निगम नगरपालिका क्षेत्र में सभी भूमियों और निर्माणों की ऐसे प्ररूप तथा रीति में तथा प्रत्येक भूमि और निर्माण के सम्बन्ध में ऐसे विवरण, जो विहित किए जाएं, रखने वाली सम्पत्ति सूची तैयार करवाएगा।''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 98का लोप।

9. मूल अधिनियम में, धारा 98 का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 99 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम में, धारा 99 की उपधारा (1) में,–

(i) दो बार आने वाले ''निर्धारण सूची'' शब्दों के स्थान पर, ''सम्पत्ति सूची'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;तथा

(ii) खण्ड (घ) का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 100 का प्रतिस्थापन।

11. मूल अधिनियम में, धारा 100 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात :–

''100. **नई सम्पत्ति सूची.**– नगरपालिका की सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए प्रति वर्ष नई सम्पत्ति सूची तैयार करना निगम के विवेकाधीन होगा।''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 104 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम में, धारा 104 की उपधारा (1) में, ''वार्षिक मूल्य'' शब्दों के स्थान पर, ''सम्पत्ति कर'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 127 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम में, धारा 127 के परन्तुक में, ''एक प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''डेढ़ प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 128 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम में, धारा 128 में,–

(I) उप–धारा (1) में,–

(i) खण्ड (ख) में, अन्त में विद्यमान '' ।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) सम्पत्ति कर।";

(II) उप धारा (3) में,–

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु सम्पत्ति कर की दशा में कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।"।

15. मूल अधिनियम में, धारा 133, 134, 135, 136 तथा 137 का लोप कर दिया जाएगा। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 133, 134, 135, 136 तथा 137 का लोप।

16. मूल अधिनियम में, धारा 139 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 139 का प्रतिस्थापन।

"139. **अपील करने के अधिकार की शर्तें।**– धारा 138 के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपील में विवादग्रस्त राशि, यदि कोई हो, अपीलार्थी द्वारा निगम के कार्यालय में जमा नहीं करवा दी गई है।"।

17. मूल अधिनियम में, धारा 142 में, उपान्तिक शीर्ष तथा उपधारा (1) में विद्यमान "वार्षिक मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "सम्पत्ति कर" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 142 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम में, धारा 145 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में, "वार्षिक" शब्द का लोप कर दिया जाएगा। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 145 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम में, धारा 146 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 146 का प्रतिस्थापन।

"146. **सम्पत्ति सूची का संशोधन।**– (1) प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम सम्मिलित किया जाना चाहिए था या किया जाना चाहिए, या कोई सम्पत्ति जो सम्मिलित की जानी चाहिए थी या की जानी चाहिए, सम्मिलित करके, या किसी सम्पत्ति के जिसका मूल्यांकन या निर्धारण चाहे प्राधिकारी के या निधारिती के भाग पर कपट, संयोग या भूल से, गलत हो गया है, विवरणों में परिवर्तन करके या स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा

भुगतानयोग्य कर की दशा में, संशोधन द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति को नोटिस की तामील की तिथि से कम से कम एक मास के समय का, जिस पर संशोधन किया जाना है, नोटिस देने के पश्चात् अभिधृति में परिवर्तन करके सूची का संशोधन कर सकता है।

व्याख्या.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी से अभिप्राय है, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी या नगर निगम आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।

(2) किसी ऐसे संशोधन में हितबद्ध कोई व्यक्ति, अपना आक्षेप नोटिस में नियत समय से पूर्व लिखित रूप में या उस समय मौखिक रूप में या लिखित रूप में निगम के समक्ष कर सकता है और उसके समर्थन में स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से, जैसा वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर अनुज्ञात किया जाएगा।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 309 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 309 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) किसी सार्वजनिक गली या सार्वजनिक स्थान में भटकता हुआ पाया गया कोई सूअर इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा हटाया जाएगा। इस प्रकार हटाया गया सूअर सार्वजनिक नीलामी द्वारा या ऐसी अन्य रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो आयुक्त उचित समझे, निपटाया जाएगा तथा ऐसे सूअर का स्वामी छह मास तक के कारावास से दण्डनीय होगा तथा यह असंज्ञेय अपराध होगा।"।

विधि– मान्यकरण।

21. किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी और मूल अधिनियम की धारा 87 के अधीन अधिकथित उस प्रक्रिया के होते हुए भी मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पत्ति कर के अधिरोपण के सम्बन्ध में, समय–समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सरकार, शहरी विकास विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 14/47/2003–3कII, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का०आ० 46/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2012, दिनांक 21 जून, 2012 द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया है, तो मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद विधिमान्यतः जारी की गई समझी जाएंगी और तद्नुसार,—

(i) सम्पत्ति कर के अधिरोपण और संग्रहण के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं के अधीन निगम द्वारा और सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य, की गई कार्यवाहियां या की गई बातें या की गई कार्रवाइयां या जो किए जा सकते हैं या की जा सकती हैं, विधि के अनुसार किए गए और की गई तथा सदैव किए गए या की गई समझी जाएंगी और किसी विधि न्यायालय के समक्ष इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे / की जाएंगी ;

(ii) उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं के अधीन इस प्रकार अधिरोपित सम्पत्ति कर के अधिरोपण के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी; तथा

(iii) कोई भी न्यायालय या प्राधिकरण अधिनियम की धारा 87 के अधीन यथा अधिकथित प्रकिया का अनुसरण न करने के कारण सम्पत्ति कर के अधिरोपण के रद्दकरण के लिए किसी डिक्री या आदेश को लागू करने के लिए निदेश नहीं करेगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने व उनके आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में सम्पत्ति कर की प्रणाली जो बहुत लम्बे समय से लागू थी, पुरानी तथा कठिन हो गई थी। इसकी गणना की प्रणाली में काफी खामियां थी तथा कुप्रबन्धन व गड़बड़ होने की आशंका रहती थी। पिछले कुछ वर्षों में कलैक्टर दरों में भी काफी वृद्धि हो गई थी, इसलिए यह आवश्यक था कि करदाताओं को राहत दी जाये क्योंकि सम्पत्ति की वार्षिक कीमत कलैक्टर रेट पर आधारित थी।

इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा सम्पत्ति कर की गणना व संग्रहण हेतु एक नई प्रणाली तैयार की गई जोकि सुगम है तथा आम आदमी, छोटे व्यापारी व समाज के अन्य वर्गों को काफी राहत देता है।

उपरोक्त प्रणाली को लागू करने में कानूनी बाधा उत्पन्न न हो इसलिए यह आवश्यक है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन किये जाएं ताकि अधिनियम तथा सम्पत्ति कर प्रणाली एक-दूसरे से सामंजस्य रख सकें।

2. नगर निगम की सीमा में आवारा सूअरों की समस्या का निवारण करने के लिए भी अधिनियम में संशोधन वांछनीय है क्योंकि इनका निरंकुश आवागमन न केवल गंदगी फैलाता है अपितु यातायात के लिए भी खतरनाक है। अत: इस बारे में सख्त कानूनी प्रावधान बनाकर इस समस्या से निजात दिलाने की आवश्यकता है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : सुमित कुमार,
25 अगस्त, 2012 सचिव।